न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025/131

चन्द्रभान पुत्र चन्द्र प्रकाश जाति खाती(सुनार) निवासी जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

––अपीलांटगण

बनाम

1. घनश्याम आत्मज स्व0 नन्दा उर्फ नन्दलाल जाति खाती निवासी ग्राम जुल्मी पोस्ट जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
2. चन्द्रप्रकाश आत्मज स्व0 नन्दा उर्फ नन्दलाल जाति खाती निवासी ग्राम जुल्मी पोस्ट जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

उपस्थित वक्त बहस :–

1. श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 10.12.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 11/2023 (2023/105) में पारित निर्णय दिनांक 09.04.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलांट ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में मूलवाद के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त उनवान का एक वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थी को कामयाबी मिलने की पूर्ण उम्मीद है। वाके माल ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी में जमाबंदी संख्या 283 संवत 2074–2077 में अप्रार्थी कम 1 व 2 के शामलाती खाते में आराजी खसरा नं 677 की 0.0100 हेक्टेयर गै० मु०चाह, खसरा नं 678 की 1.1200 हेक्टेयर चाही तृतीय व खसरा नं 895 की 1.9500 हैक्टेयर बारानी तृतीय कुल किता 3 की रकबा

3.0800 हैक्टेयर लगानी 34.97 रूपये दर्ज है। जिसमें खातेदार अप्रार्थी नं 1 घनश्याम का हिस्सा 1/4 व अप्रार्थी नं 2 चन्द्रप्रकाश का हिस्सा 3/4 दर्ज है अप्रार्थी नं 2 प्रार्थी के पिता है अप्रार्थी नं 1 व 2 दोनो आपस में भाई है। प्रार्थना पत्र की मद नं 2 में वर्णित आराजी में से खसरा नं 677 व 678 की आराजी कुल 1.1300 हैक्टेयर गत सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नं 413 की 07 बीघा पूर्व खातेदार नन्दा पुत्र रोडू कोम खाती साकिन जुल्मी के नाम दर्ज थी जो गत सेटलमेन्ट के पश्चात खसरा नं 677 की 0.01 हैक्टेयर व खसरा नं 678 की 1.12 हैक्टेयर दर्ज हुयी है। प्रार्थना पत्र की मद नं 3 में वर्णित उक्त आराजी को पूर्व खातेदार नन्दा पुत्र रोडू जी बहेसियत खातेदार काश्तमय काबिज होकर काश्त करता आ रहा था। दिनांक 27/09/1999 को प्रार्थी के पिता पूर्व खातेदार नन्दलाल ने प्रार्थना पत्र की मद नं 3 में वर्णित आराजी खसरा नं 413 की 7 बीघा आराजी को अपनी स्वअर्जित, तथा समस्त राजकीय भार व बन्धनों से मुक्त अभिकथित करते हुये अदालत परिसर में नोटेरी के समक्ष उपस्थित होकर स्वेच्छा एवं प्रसन्नता पूर्वक पूर्ण होशोहवास में रूबरू गवाहान अपने हस्ताक्षरों से संपादित करते हुये एक वसीयतनामा 20 रूपये के स्टाम्प पर आलेखित करवाकर नोटेरी से प्रमाणित कराया जिसमें स्पष्ट रूप से आलेखित किया गया कि वसीयतकर्ता की मृत्योपरान्त उक्त आराजी सम्पत्ति का खातेदार मालिक प्रार्थी ही होगा। दिनांक 23/08/2008 को वसीयत कर्ता नन्दलालजी का स्वर्गवास होने के उपरान्त प्रार्थी ने उक्त वसीयत की प्रति तत्समय दिनांक 23/09/2008 को दस्तावेज वसीयतनामे के आधार पर इन्तकाल तस्दीक किये जाने बाबत हल्का पटवारीजी को दे दी तथा हल्का पटवारीजी ने प्रार्थी को आश्वस्त कर दिया था कि नियमानुसार इन्तकाल तस्दीक होकर वसीयत शुदा भूमि आपके (प्रार्थी के) खाते दर्ज हो जायेगी तब दिनांक 23/08/2008 से वसीयत कर्ता नन्दलालजी का स्वर्गवास होने के बाद से ही आज तक प्रार्थी निरंतर अबाध रूप से प्रार्थना पत्र की मद नं 2 में वर्णित आराजी खसरा नं 677 की 0.01 हैक्टेयर व खसरा नं 678 की 1.12 हैक्टेयर पर काश्तमय काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी अभी दिनांक 15/03/2023 को बैंक से कृषि के उन्नत विकास के लिये किसान कार्ड बनाने के लिये खाते की नकल लेने हल्का पटवारीजी के पास गया तो जानकारी हुयी कि अभी तक उक्त आराजी उक्त दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 27/09/1999 के आधार पर प्रार्थी के खाते दर्ज नही हुयी है तथा उक्त आराजी प्रार्थना पत्र की मद नं 2 के अनुसार अप्रार्थी नं 1 के हिस्से 1/4 व अप्रार्थी नं 2 के हिस्से 3/4 के अनुसार दर्ज है। मृतक खातेदार नन्दलालजी को उक्त आराजी को वसीयत करने का पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त होने से वसीयतकर्ता नन्दलालजी द्वारा दिनांक 27/09/1999 को

प्रार्थी के पक्ष में आलेखित कराया गया उक्त दस्तावेज वसीयतनामा समस्त वैधानिक औपचारिकताओं को परिपूर्ण करते हुये नियमानुसार रजिस्टर्ड कराया गया आज भी सम्पूर्ण प्रकार से बैच एवं प्रभावशील दस्तावेज है जिसके आधार पर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र की मद नं 2 में वर्णित आराजी के खातेदारान अप्रार्थी नं 1 व 2 का नाम खाते से खारिज करा कर प्रार्थी के पक्ष में संपादित उक्त वसीयतशुदा आराजी में अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा कराये जाने का पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त है। तब दिनांक 15/03/2023 को प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को उक्त आराजी प्रार्थी के खाते दर्ज कराने की कहा तो अप्रार्थीगण ने मना कर दिया व उक्त आराजी से प्रार्थी को बेदखल करने व आराजी खुर्द बुर्द करने की धमकी दी। प्रार्थना पत्र की मद नं 2 में वर्णित आराजी पर अप्रार्थीगण का नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण उक्त प्रार्थी के कब्जे शुदा आराजी पर जबरन कब्जा करने या उसे अन्यत्र रहन बैय कर खुर्द बुर्द करने के प्रयास में है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। यदि उन्होंने उक्त वाद ग्रस्त आराजी पर जबरन अतिक्रमण कर लिया या उसे रहन बैय या अन्यत्र दीगर तरीके से खुर्द बुर्द कर दिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में संभव नहीं हो सकेगी तथा प्रार्थी न्याय प्राप्त करने से महरूम रह जायेगा। प्रार्थी का उक्त केस प्राईमा फेसाई हैं एवं सुविधाओं का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के लिये आवश्यक हो गया है कि वह अप्रार्थीगण के खिलाफ इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित करावे कि अप्रार्थीगण 1 व 2 उक्त प्रार्थना पत्र की मद नं 2 में वर्णित आराजी खाते में खसरा नं 677 की 0.01 हैक्टेयर व खसरा नं 678 की 1.12 हैक्टेयर पर मदाखलत मजाहमत नही करे ना ही उक्त आराजी को कही दीगर जगह रहन बैय करे या किसी अन्य तरीके से खुर्द बुर्द करे ना ही उक्त कार्य अपने किसी प्रतिनिधि से कराये तथा प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त करते रहने दे। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अप्रार्थीगण नं 1 व 2 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा ताफेसलावाद पाबंद फरमाया जावे कि वे प्रार्थना पत्र की मद नं 2 में वर्णित आराजी में से खसरा नं 677 की 0.0100 हेक्टेयर गै०मु०चाह, खसरा नं 678 की 1.1200 हेक्टेयर चाही तृतीय पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत नही करे न ही उक्त आराजी को कही दीगर जगह रहन बैय करे या किसी अन्य तरीके से खुर्द बुर्द करे ना ही उक्त कार्य अपने किसी प्रतिनिधि से कराये तथा प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त करते रहने दे। दौराने वाद यदि अप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजी सम्पूर्ण या उसके किसी हिस्से पर जबरन अवैधानिक रूप से कब्जा करले तो जर्ये मेन्डेटरी व्यादेश उन्हे बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को दिलाया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.04.2025 को प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.04.2025 से व्यथित होकर अपीलांटगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.04.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.04.2025 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 स्वयं उपस्थित हुआ। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बार–बार आवाज लगाने के बाद भी वकील अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित नहीं हुए। बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया किअधीनस्थ न्यायालय का आदेश जेरअपील कानून, न्याय एवं संचिका में प्राप्त सिद्धि के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा की साबिक खसरा नम्बर 413 की 7 बीघा भूमि वादी अपीलान्ट के दादा जी नन्दा पुत्र रोडू जी जाति खाती निवास ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा के खाते एवं कब्जे काश्त में थी। खातेदार श्री नन्दा जी ने दिनांक 27–9–1999 को अपील विषयक उक्त भूमि का वसीयत नामा अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित कर उसे अपना वसीयती उत्तराधिकारी घोषित किया

था। खातेदार श्री नन्दा जी उर्फ नन्दलाल जी ने गवाहान की उपस्थिती में स्वयं के हस्ताक्षर कर एवं गवाही गवाहान करवा कर उक्त वसीयत नामा अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित किया था खातेदार अपीलान्ट के दादा जी नन्दा जी उर्फ नन्दलाल जी की मृत्यु दिनाक 23–8–2008 को हो चुकी है। वसीयत कर्ता खातेदार श्री नन्दा जी उर्फ नन्दलाल जी का वसीयती उत्तराधिकारी होने से अपीलान्ट उपरोक्त भूमि का कानूनन खातेदार हो गया है। उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि पर वादी अपीलान्ट काबिज चला आ रहा है एवं वर्तमान में भी काबिज है। रेस्पो० नं० 1 घनश्याम का उपरोक्त भूमि पर कोई हक व अधिकार नहीं है। एवं कब्जा नहीं है इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज फरमा कर आदेश जेर अपील पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग आर्डर की तारीफ में नहीं आने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह करार फरमाने में त्रुटि की है कि प्रार्थी अपीलान्ट एवं प्रतिपक्षी रेस्पो० दोनों ही पक्ष अपने अपने हिस्से के अनुसार काबिज है। वास्तविकता यह है कि प्रतिवादी रेस्पो० नं० 1 का उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं है। प्रतिवादी रेस्पो० नं० 1 घनश्याम का उपरोक्त भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं है तथा हित निहित नहीं है इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने हुक्म जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने सुविधा का सन्तुलन दोनों पक्षों के हक में होना मानने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपूरर्णीय क्षति का बिन्दू वादी अपीलान्ट के पक्ष में नहीं होना मानने में त्रुटि की है। वादी अपीलान्ट द्वारा दावा मय अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। एवं वादी अपीलान्ट के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत नहीं करने एवं उपरोक्त भूमि को रहन बेचान नहीं करने व खुर्द बुर्द नहीं करने के संबंध में अनुतोष चाहा गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट को अनुतोष प्रदान नहीं करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय को वाद विषयक एवं अपील विषयक उक्त भूमि को दौराने दावा अन्तरित नहीं करने, रहन बेचान हिब्बा एवं अन्य तरीके से खुर्द बुर्द नहीं करने के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाना चाहिए था। दैराने दावा वाद विषयक भूमि अपील विषयक भूमि को प्रोटेक्ट करना अक्षुण (इनटेक्ट) रखा जाना आवश्यक है। इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाने में त्रुटि की है। उपरोक्त भूमि के सेटलमेन्ट में नया खसरा नम्बर 677 की 0.1 हेक्टर व खसरा नम्बर 678 की 1.12 हेक्टर कायम हुआ है। वादी अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया प्रकरण है। सुविधा का सन्तुलन एंव अपूरर्णीय क्षति का बिन्दू अपीलान्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा स्थगन आदेश जारी किये जाने में है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक

दृष्टांत 2025(1) डी.एन.जे. पेज 51, 2024(1) डी.एन.जे.(रेवेन्यु) पेज 209, 2023(2) आर.आर.टी. पेज 919, 2021(1) डी.एन.जे.(रेवेन्यु) पेज 472, 2015(1) आर.एल.डब्ल्यु. पेज 450(राज.) प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने तथा वादी अपीलान्ट के पक्ष में प्रतिवादी रेस्पो०नं० 1 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित किए जाने का निवेदन किया कि रेस्पो० नं० 1 ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी की साबिक खसरा नम्बर 413 की 7 बीघा भूमि जिसका सेटलमेन्ट में नये खसरा नम्बर 677 रकबा 0.01 हेक्टर व खसरा नम्बर 678 रकबा 1.12 हेक्टर जुमला 2 किता की 1.13 हेक्टर भूमि कायम हुआ है, को प्रतिवादी नं0 1 रहन बेचान, हिब्बा एवं अन्य प्रकार से अन्तरित नहीं करे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे ओर न अपने प्रतिनिधि से एवं कर्मचारियों से करावे तथा अपील विषयक वाद विषयक आराजी के रिकार्ड व मोके की यथास्थिती कायम रखे।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी अपीलांट की ओर से वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी की खसरा संख्या 677 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा संख्या 678 रकबा 1.1200 के सम्बंध में अप्रार्थीगण के विरूद्ध रहन, बेचान नहीं किए जाने एवं कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं किए जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त आराजी की वसीयत उसके पिता खातेदार नन्दलाल द्वारा अपीलांट के पक्ष में दिनांक 27.09.1999 को निष्पादित की जा चुकी है तथा खातेदार नन्दलाल के स्वर्गवास के पश्चात वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट काबिज होकर काश्त कर रहा है। अपने कथनों के समर्थन में अपीलांट द्वारा वसीयतनामा दिनांक 27.09.1999 की फोटोप्रति पेश की है। तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 27.09.1999 में नन्दलाल आत्मज रोडू द्वारा स्वयं के खाते की खसरा नम्बर 423 रकबा 4 बीघा भूमि की वसीयत अपने पौत्र चन्द्रभान आत्मज चन्द्रप्रकाश के पक्ष में किए जाने का अंकन है। उक्त तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 27.09.1999 के आधार पर वादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना–पत्र में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। हमारे मत में प्रश्नगत वसीयतनामा दिनांक 27.09.1999 अपंजीकृत दस्तावेज है जिसके आधार पर अपीलांट के हक

अधिकारों का निर्धारण मूलवाद के अंतिम निस्तारण में साक्ष्योपरांत ही किया जा सकता है। राजस्व अभिलेख जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी की खसरा संख्या 677, 678, 895 कुल किता 3 रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अपीलांट ना तो वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है तथा तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 27.09.1999 के आधार पर अपीलांट के हक अधिकारों का निर्धारण मूलवाद के अंतिम निस्तारण में होना शेष है अतः वर्तमान स्तर पर अपीलांट वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में किसी प्रकार का अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.04.2025 में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किए जाने का जो आदेश पारित किया है वह विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.04.2025 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण 11/2023 (2023/105) में पारित निर्णय दिनांक 09.04.2025 यथावत रखा जाता है।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 10.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/12/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा